भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2134
05.08.2024 को उत्तर के लिए

समुद्री प्रजातियों का संरक्षण

2134. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :
श्री विजय बघेल :
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :
श्री राजकुमार चाहर :
श्री खगेन मुर्मु :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार द्वारा समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत देश के सभी तटीय राज्यों और द्वीप समूहों में समुद्री प्रजातियों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है।
ii. समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए 106 तटीय एवं समुद्री स्थलों को अभिज्ञात किया गया है।
iii. कई संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों को शिकार से सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और II में सूचीबद्ध किया गया है।
iv. मंत्रालय द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है जिसका उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में भारतीय तटरक्षक बल को

अवांछित प्रवेश पर रोक लगाने, तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और बंदी बनाने का अधिकार प्रदान करना है।

v. मंत्रालय ने समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना की शुरूआत की है।

vi. बृहत् समुद्री जीव-जंतुओं के तट पर भटकने या फंस जाने की घटना के प्रबंधन के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2021 में 'मैरिन मेगाफाउना स्ट्रैंडिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स' जारी किए हैं।

vii. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीलों, प्रवालों एवं प्रवाल भित्तियों, जैविक रूप से सक्रिय मडफ्लैटों, कछुए के आश्रय स्थानों तथा हॉर्स शू क्रैब के पर्यावासों जैसे पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवदेनशील क्षेत्रों (ईएसए) की संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

viii. मंत्रालय द्वारा प्रवालों और मैंग्रोव के संरक्षण हेतु समुद्र तटीय राज्यों को केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के तहत निधियां जारी की जा रही हैं।

ix. मंत्रालय द्वारा समुद्री प्रजातियों और उनके पर्यावास सहित वन्यजीव के संरक्षण के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

x. मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण के तहत डुगांग और उनके पर्यावासों के संरक्षण से संबंधित परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

xi. सरकार समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से संचालित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय/शोध संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

*****

अनुबंध-I

'समुद्री प्रजातियों का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 05.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2134 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत पांच वर्षों के दौरान सीएसएस- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	132.64	0	135.77	25.125	0
2	गोवा	111.654	0	0	0	50.10
3	गुजरात	0	124.5849	0	200.01	206.99
4	कर्नाटक	739.046	586.12634	1256.59314	291.71146	581.52346
5	केरल	845.026	731.2845	295.7737	224.4735	921.0361
6	महाराष्ट्र	715.781	146.08	0	350.3879	554.69645
7	ओडिशा	701.504	697.50	726.80273	967.4976	612.81161
8	तमिलनाडु	409.505	334.0354	390.75715	132.95205	373.8902
9	पश्चिम बंगाल	891.073	710.61953	757.25599	201.30866	385.29988
10	पुदुचेरी	0	0	0	0	5.22
11	लक्षद्वीप	193.272	462.409	462.086	269.9055	124.655
	कुल योग	**4739.501**	**3792.64**	**4025.039**	**2663.372**	**3816.223**

***